



2026:AHC:10339

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 363 वर्ष 2026

कुंजी लाल

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	अशोक कुमार पाण्डेय, हरिंद्र प्रसाद
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री हरिन्द्र प्रसाद और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री जितेन्द्र प्रसाद को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का वाद यह है कि जब वह लेखपाल के पद पर तैनात था, तब 28.04.2025 को आजमगढ़ के जिला दंडाधिकारी ने उसे निलंबित कर दिया और साथ ही जांच कराने का निर्देश भी दिया।
3. उक्त आदेश को चुनौती देते हुए, यह रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।
4. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि रिट याचिकाकर्ता केवल एक लेखपाल है और उसने किसी भी समय कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया था, तथा कथित जाँच एकपक्षीय थी जो निलंबन का आधार बनी। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया है कि केवल लघु दंड ही अधिरोपित किया जा सकता है।
5. माननीय शासकीय अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि निलंबन आदेश बहुत पहले, दिनांक 28.04.2025 को पारित किया गया था, और आरोप-पत्र दिनांक 17.06.2025 को जारी किया गया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



था, जिसका जवाब रिट याचिकाकर्ता ने दिनांक 01.07.2025 को प्रस्तुत किया है। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध सामग्री ही रिट याचिकाकर्ता को निलंबित करने का आधार बनी।

6. मैंने बार की ओर से प्रस्तुत निवेदन को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

7. ज़ाहिर है, रिट याचिकाकर्ता का यह मामला नहीं है कि उसे किसी ऐसे अधिकारी द्वारा निलंबित किया गया हो जो निलंबित करने के लिए सक्षम हो। इसके अलावा, न्यायालय ने पाया कि निलंबन आदेश 28.04.2025 को पारित किया गया था, 17.06.2025 को एक आरोप पत्र जारी किया गया था और 01.07.2025 को रिट याचिकाकर्ता द्वारा उसका जवाब प्रस्तुत किया गया था। निलंबन आदेश और आरोप पत्र में लगाए गए आरोप, जाति प्रमाण पत्र जारी करने में कदाचार और अनियमितता से संबंधित हैं। न्यायालय की राय में, आरोपों के गुण-दोष की गहराई में जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि वे विभागीय कार्यवाही के अधीन हैं।

8. तदनुसार, इसमें हस्तक्षेप से इनकार किया जाता है और रिट याचिका निस्तारित की जाती है। चूंकि रिट याचिकाकर्ता ने आरोप-पत्र के संबंध में अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया है, इसलिए जांच की कार्यवाही तीन महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाए। रिट याचिकाकर्ता को निर्वाह भत्ता भी दिया गया है, जो कि निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन है। जहां तक इस तर्क का सवाल है कि केवल लघु दंड ही दिया जा सकता है, तो यह न्यायालय के लिए उचित नहीं है कि वह अनुशासनात्मक प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करे।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

जनवरी 16, 2026

राजेश